कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. संतोष कुमार पुत्र उदयराज नि0 सेवरहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–109/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2021

थाना उमरीबेगमगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अनीस उर्फ पिचक्के को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेमगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अनीस उर्फ पिचक्के पुत्र युनुस नि0 परसदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–69/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–
01. उ0नि0 अंकुर वर्मा।
02. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।
03. का0 प्रदीप यादव।